रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन)-128/90

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 30, 1990/आषाढ़ 9, 1912

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30, 1990/ASADHA 9, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम, (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 20 जून, 1990

सा. का. नि. 391:—संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं अर्थात् :—

कि न्यायमूर्ति श्री कृष्ण चन्द्र अग्रवाल, जिनका इलाहाबाद उच्च न्यायालय से राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानान्तरण हुआ है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के लिए अपने वेतन के अतिरिक्त 900 रु. (केवल नौ सौ रु०) प्रतिमास की दर से प्रतिपूरक भत्ता पाने के हकदार होंगे।

[सं. के-13012/3/90-डेस्क,II]

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 20th June, 1990

G.S.R. 391.—In pursuance of clause (2) of article 222 of the Constitution, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Krishna Chandra Agarwal, who has been transferred from Allahabad High Court as Chief Justice of the Rajasthan High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 900 (Rupees nine hundred only) per mensem for the period of his service as Chief Justice of the Rajasthan High Court.

[No. K. 13012/3/90-Desk-II]

(8) Increment—Every teacher shall draw increment in the scale of pay unless it is withheld or postponed by a resolution of the Board of Management on a reference by the Vice-Chancellor and after the teacher has been given sufficient opportunity to make his written representation.

(9) Age of retirement.—(a) Save as otherwise provided in the Act, Statutes and Ordinances, all teachers of the University shall retire on completing the age of 60 years.

(b) The Board of Management if it is satisfied, on the recommendation of the Vice-Chancellor, may in the interest of the University re-employ a teacher who has retired after the expiry of his contract:

Provided that no teacher shall be eligible to be re-employed under this clause or on such re-employment to continue as a teacher after he has attained the age of 65 years:

Proivded further that a teacher so re-employed shall not be eligible to hold an office which involves administrative work; provided also that the salary of such teachers shall be fixed after taking into consideration the pension or other retirement benefits drawn or to be drawn by him in accordnace with the rules prescribed by the Central Government.

(10) Variation in terms and conditions of service—Every teacher of the University shall be bound by the Statutes, Ordinances for the time being in force in the University:

Provided that no change in terms and conditions of service of a teacher shall be made after his appointment in regard to designation, scale of pay, increment, provident fund, retirement benefits, age of retirement, probation, confirmation, leave salary and removal from service so as to adversely affect him.

(11) Resignation—A teacher may, at any time, terminate his engagement by giving the Board of Management three months' notice in writing:

Provided that the Board of Management may waive the requirement of notice at its discretion.

(12) Members of the teaching staff—The members of the teaching staff shall be designated as:

1. Professor
2. Reader
3. Lecturer (selection grade)
4. Lecturer (senior) scale
5. Lecturer

(13) Scale of pay—The scale of pay for these posts specified in column (i) of the teachers below shall be those specified against each in column (ii).

post (i)	Scale of pay (ii)
Professor	4500—150—5700—200—7300
Reader	3700—125—4950—150—5700
Lecturer (selectio grade)	3700—125—4950—150—5700
Lecturer (senior scale)	3000—100—3500—125—5000
Lecturer	2200—75—2800—100—4000

The teachers shall be entitled to such allowances as the University may decide from time to time.

(14) Career advancement—The manner and the terms under which a Lecturer may be placed in the Lecturer (senior scale) and Lecturer (selection grade) and as Reader will be prescribed through ordinances.

[No. G/St(17)/89]

K. NARAYANAN, Registrar

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मई, 1990

सा.का.नि. 407.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1989 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1962 की अनुसूची में, क्रमश: फार्म रेडियो अधिकारी और फार्म रेडियो अधिकारी (गृह) (महिला) के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 15 और 16 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
15. फार्म रेडियो अधिकारी	75* (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित अननुसचिवीय	2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500 रु.	चयन	नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए

1	2	3	4	5	6	7
					निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप में हैं (आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	

सीधे भर्ती कए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि में डिग्री या समतुल्य। (2) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के या किसी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कृषि विभाग में कृषि विस्तार या सूचना कार्य का 3 वर्ष का अनुभव। (3) अधिमानतः रेडियो प्रसारणों के माध्यम से लोकप्रिय प्रस्तुतीकरण के लिए कृषि संबंधी सूचना तैयार और संसाधित करने का अनुभव। (4) प्रत्येक पद की अपेक्षाओं के अनुसार किसी एक प्रादेशिक भाषा का ज्ञान।	नहीं	2 वर्ष

टिप्पण: 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण: 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय: विस्तार तकनीकों के सुसंगत प्रभाव की बाबत विभिन्न संचार माध्यमों में प्रशिक्षण।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।
11	12
(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा; और (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: ऐसा फार्म रेडियो रिपोर्टर जिसने उस श्रेणी (1400—2600 रु. वेतनमान) में 8 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण: ऐसे फार्म रेडियो रिपोर्टर के लिए, जो इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं, फार्म रेडियो अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा निरंतर 6 वर्ष बनी रहेगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : (क)(1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (2) जिन्होंने 1400—2300—2600 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर वर्ष नियमित सेवा की है: और (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के नीचे सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं।

	12
	(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्त किए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति 1. उप महानिदेशक (1), आकाशवाणी —अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन और वित्त), आकाशवाणी —सदस्य 3. निदेशक (फार्म और गृह), आकाशवाणी —सदस्य 4. संयुक्त निदेशक, (परिवार कल्याण), आकाशवाणी —सदस्य	पद पर सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

टिप्पण: सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किंतु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

1	2	3	4	5	6	7
2. फार्म रेडियो अधिकारी (गृह) (महिला)	1* (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", राजपत्रित अननुसचिवीय	2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण:—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

8	9	10
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से गृह विज्ञान में डिग्री या समतुल्य। (ii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के या किसी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के गृह विज्ञान संस्था में गृह विज्ञान विस्तार या अध्यापन कार्य का 3 वर्ष का अनुभव (iii) अधिमान्यता : रेडियो प्रसारणों के माध्यम से लोकप्रिय प्रस्तुतीकरण के लिए गृह विज्ञान संबंधी सूचना तैयारी और संसावित करने का अनुभव। ग्रामीणकर्मकारों, युवा और बच्चों के संबंध में गृह विज्ञान और अन्य कार्यक्रमों से सुपरिचित और ग्रामीण परिस्थितियों की जानकारी होनी चाहिए। (iv) हिन्दी का ज्ञान।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष।

8	9	10
टिप्पण : स्नातक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान किन्तु उस दशा में जब हिन्दी मातृभाषा हो, मैट्रिकुलेशन तक हिन्दी का अध्ययन किया होना चाहिए और उसे हिन्दी में अभिव्यक्त करने और बातचीत करने में समर्थ होना चाहिए। टिप्पण : 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। वांछनीय : विस्तार तकनीकी के सुसंगत प्रभाव की बाबत विभिन्न संचार माध्यमों में प्रशिक्षण।		

11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :—केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 1400-2300/2600 रुपए या समतुल्य वेतनमान मान वाले पदों पर 8 वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के नीचे सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति : (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. उप महानिदेशक (1), आकाशवाणी —अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन और वित्त), आकाशवाणी—सदस्य 3. निदेशक (फार्म और गृह), आकाशवाणी —सदस्य 4. संयुक्त निदेशक (परिवार कल्याण), आकाशवाणी—सदस्य टिप्पण : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदना भेजी जाएंगी। किन्तु यदि उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ-लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में न्फर से होगी।	पद पर सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. 8/48/87-एस.-II/एस.-I(बी.)/बी.(ए.)]

कश्मीरी लाल, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, 1962 (असाधारण) भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि सं. 347 तारीख 17-1-1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए थे :—

1. अधिसूचना सं. 5(9)158-बी(ए), तारीख 4-5-62 सा.का.नि.सं. 721 तारीख 26-5-62.
2. अधिसूचना सं. 11(6)162-बी (ए), तारीख 18-10-62 सा.का.नि.सं. 1412 तारीख 27-10-62.
3. अधिसूचना सं. 5(89)158-बी (ए), तारीख 20-11-62 सा.का.नि.सं. 1627 तारीख 1-12-62.
4. अधिसूचना सं. 9/7/62-बी(ए), तारीख 8-1-63 सा.का.नि.सं. 123 तारीख 8-1-63.
5. अधिसूचना सं. 13/55/61-बी(ए) तारीख 8-7-63 सा.का.नि. सं. 1225 20-7-63.
6. अधिसूचना सं. 5/43/62-बी(ए), तारीख 5-8-63 सा.का.नि.सं. 1319 तारीख 10-8-63.
7. अधिसूचना सं. 11/2/61-बी(ए), तारीख 31-8-64 सा.का.नि.सं. 1310 तारीख 12-9-64.
8. अधिसूचना सं. 11/3/63-बी(ए), तारीख 31-10-64 सा.का.नि.सं. 1564 तारीख 15-10-64.
9. अधिसूचना सं. 11/6/64-बी(ए) तारीख 28-4-65 सा.का.नि.सं. 705 तारीख 8-5-65.
10. अधिसूचना सं. 5/45/65-बी(ए) तारीख नवम्बर, 1965.
11 अधिसूचना सं. 11/4/65-बी(ए), तारीख 31-12-65 सा.का.नि.सं. 58 तारीख 8-1-66.
12. अधिसूचना सं. 11/3/65-बी(ए), तारीख 1-11-66 सा.का.नि.सं. 1782 तारीख 26-11-66.
13 अधिसूचना सं. 11/4/65-बी(ए), तारीख 24-12-66 सा.का.नि.सं. 1973 तारीख 29-12-66.
14. अधिसूचना सं. 7/1/67-बी(ए), तारीख दिसम्बर, 1967
15, अधिसूचना सं. 20/6/67-बी(ए), तारीख 23-3 68 सा.का.नि. सं. 541 तारीख 23-3-68
16. अधिसूचना सं. 7/1,67-बी(ए), तारीख 30-4-68 सा.का.नि.सं. 910 तारीख 30-4-68.
17. अधिसूचना सं. 20/6/67-बी(ए), तारीख 17-7-69 सा.का.नि.सं. 1761 और 1821.
18 अधिसूचना सं. 7/12/68-बी(ए), तारीख 19-7-69 सा.का.नि.सं. 1682.
19. अधिसूचना सं. 17/9/68-बी(ए), तारीख 6-1-70 सा.का.नि.सं. 173 तारीख 31-1-70.
20. अधिसूचना सं. 17-7-69 बी(ए) तारीख 21-1-70 सा.का.नि.सं. 204 तारीख 7-2-70.
21. अधिसूचना सं. 17/8/69 बी(ए) तारीख 3-4-70 सा.का.नि.सं. 723 तारीख 2-5-70.
22. अधिसूचना सं. 7/2/68 बी(ए), तारीख 24-4-70 सा.का.नि.सं. 1161 तारीख 18-8-70.
23. अधिसूचना सं. 1/4/70 बी(ए) तारीख 25-8-70.
24. अधिसूचना सं. 11/9/69-बी(ए) तारीख 21-2-72 सा.का.नि.सं. 367 तारीख 2-3-72.
25. अधिसूचना सं. 1/9/78-बी(ए) तारीख 8-7-72.
26. अधिसूचना सं. 1/7/71-बी(ए) तारीख 13-2-73 सा.का.नि.सं. 223 तारीख 3-3-73.
27. अधिसूचना सं. 1/9/72 बी(ए) तारीख 10-4-73 सा.का.नि.सं. 476 तारीख 5-5-73.
28. अधिसूचना सं. 1/15/73-बी(ए) तारीख 16-2-74 सा.का.नि.सं. 256 तारीख 9-3-74.
29. अधिसूचना सं. 1/12/73-बी(ए) तारीख 4-4-75.
30. अधिसूचना सं. 1/12/73-बी(ए) तारीख 24-6-75 सा.का.नि.सं. 894 तारीख 19-7-75
31. अधिसूचना सं. 17/9/69-बी(ए) तारीख 11-6-75 सा.का.नि.सं. 801 तारीख 28-6-75.
32. अधिसूचना सं. 1/15/75-बी(ए) तारीख 15-4-76 सा.का.नि.सं. 677 तारीख 15-5-76.
33. अधिसूचना सं. 1/12/73-बी(ए) तारीख 4-11-76 सा.का.नि.सं. 1671 तारीख 27-11-76.
34. अधिसूचना सं. 12019/19/78 बी(ए) तारीख 26-12-78 सा.का.नि.सं. 95 तारीख 26-1-79.
35. अधिसूचना सं. 12018/4/77 बी(ए) तारीख 4-9-80 सा.का.नि.सं. 1118 तारीख 25-10-80.
36. अधिसूचना सं. 12019/9/78 बी(ए) तारीख 26-12-80 सा.का.नि.सं. 44 तारीख 10-1-81.
37. अधिसूचना सं. 12019/1/80 बी(ए) तारीख 20-10-81 सा.का.नि.सं. 1002 तारीख 7-11-81.
38. अधिसूचना सं. 12018/4/77 बी(ए) तारीख 15-1-82 सा.का.नि.सं. 137 तारीख 6-2-82.
39. अधिसूचना सं. 45011/83/82 बी(ए) तारीख 23-10-84 सा.का.नि.सं. 740 (ई जे).
40. अधिसूचना सं. 12019/6/83 बी(ए) तारीख 28-6-85.
41. अधिसूचना सं. 45011/83/82 बी(ए) जिल्द iv (11) तारीख 8-5-87.
42. अधिसूचना सं. 1/19/86-एस 11/ए आई आर/बी(ए), तारीख 25-10-87.
43. अधिसूचना सं. 8/45/87-एस 11/आई आर/बी(ए) तारीख 2-4-88.
44. अधिसूचना सं. 7/6/87-ए आर/बी(ए), तारीख 12-4-88.
45. अधिसूचना सं. 14/18/86-एस-11/बी(ए) तारीख 25-5-88.
46. अधिसूचना सं. 12019/2/87-बी(ए) तारीख 26-5-88.
47. अधिसूचना सं. 7/5/87-ए आर/बी(ए) तारीख 13-6-88.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 31st May, 1990

G. S. R. 407.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1962, for serial numbers 15 and 16 relating to the post of Farm Radio Officer and Farm Radio Officer (Home) (Female) respectively and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
15. Farm Radio Officer	75* Subject to variation (1989) dependent on work load	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-10-3500.

Whether selection post or non selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits.
5	6	7
Selection	No.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The Crucial date for determining the a e-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods
8	9	10	11
Essential: (i) Degree in Agriculture from a recognised University or Institution or equivalent.	No.	2 years.	(i) 50% by promotion, failing which by transfer on deputation; and

8	9	10	11
(ii) 3 years experience of Agricultural Extension or Information work in the Department of Agriculture of the Central Government or of a State Government or of a Union Territory Administration. (iii) Experience of preparation and processing of Agricultural Information for popular presentation, preferably through Radio Broadcasts. (iv) Knowledge of one of the regional languages according to the requirements of each post. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified, Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable:			(ii) 50% by direct recruitment.

Trainng in defferent communication media with respect

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion: Farm Radio Reporter with 8 years' regular service in the grade (pay scale Rs. 1400–2600) Note: For the Farm Radio Reporters who are holding the posts on a regular basis on the date of notification of these rules, the eligibility service for promotion to the post of Farm Radio Officer shall centinue to be 6 years. Transfer on deputation: Officers of the Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or	Group 'B' Departmental Promotion Committee 1. Deputy Director General (I), All India Radio. 2. Director (Administration and Finance) All India Radio—Member 3. Director (Farm and Home), All India Radio—Member. 4. Joint Director (Family Welfare), All India Radio—Member. Note: The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to-confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment to the post.

12	13
(ii) with 8 years' regular service in posts in the scale of Rs. 1400–2300 or 2600 or equivalent; and (b) possessing qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col.8. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).	approvalle. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

1	2	3	4
2 Farm Radio Officer (Home) (Female)	*1 (1989) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.

5	6	7
Not applicable.	Not applicable.	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The Crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

8	9	10	11
Essential: (i) Degree in Home Science from a recognised University or Institute or equivalent.	Not applicable	2 years for direct recruits.	By transfer on deputation failing which by direct recruitment.

8	9	10	11
(ii) 3 years experience of Home Science extension or teaching work in Home Science Institution of the Central Government or of a State Government or of a Union Territory Administration. (iii) Experience of preparation and processing of Home Science information for popular presentation preferably through Radio Broadcasts. Should be conversant with Home Science and other programmes in respect of rural workmen, youth and children and familiar with rural conditions. (iv) Knowledge of Hindi. Note: Knowledge of Hindi of the level of graduation but in case of it being the mother tongue one should have studies upto matriculation and be able to express and communicate in it. Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in cases of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable: Training in different communication media with respect ? ? ?			

12	13	14
Transfer on deputation Officers of the Central Government (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 8 years' regular service in posts in the scale of Rs. 1400–2300 or 2600 or equivalent; and	Group 'B' Departmental Promotion Committee: (for considering confirmation) 1. Deputy Director General(I)Chairman All India Radio. 2. Director (Administration and Finance), All India Radio—Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment to the post.

12	13
(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under Col. 8. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this apointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).	3. Director (Farm and Home), All India Radio—Member. 4. Joint Director (Family Welfare), All India Radio—Member. Note: The proceedings of Departmental Promotion Committee relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held."

[No. 8/48/87-SII/SI(B)/B(A)]

KASHMIRI LAL, Under Secy.

NOTE: *Principal rules published vide GSR No. 347, dated 17-3-1962 Gazette of India 1962(Extraordinary Part II Section 3 Sub Section (i) subsequently the following amendments wese notified:—

1. Notification No. 5(9)/58-B(A), dated 4-5-1962 GSR No. 721 dated 26-5-62
2. Notification No. 11(6)/62-B(A), dated 18-10-62 GSR No. 1412 dated 27-10-62
3. Notification No. 5(89)/58-B(A), dated 20-11-62 GSR No. 1627 dated 1-12-62
4. Notification No. 9/7/62-B(A), dated 8-1-63 GSR No. 123 dated 8-1-63
5. Notification No. 13/55/61-B(A), dated 8-7-63, GSR No. 1225 dated 20-7-63.
6. Notification No. 5/43/62-B(A), dated 5-8-63 , GSR No. 1319 dated 10-8-63.
7. Notification No. 11/2/61-B(A), dated 31-8-64 GSR No. 1310 dated 12-9-64.
8. Notification No. 11/3/63-B(A), dated 31-10-64 GSR No. 1564 dated 15-10-64.
9. Notification No*i* 11/6/64-B(A), dated 28-4-65 GSR No. 705 dated 8-5-65.
10. Notification No. 5/45/65-B(A), dated November, 1965
11. Notification No. 11/4/65-B(A), dated 31-12-65 GSR No. 58 dated 8-1-66.
12. Notification No. 11/3/65-B(A), dated 1-11-66 GSR No. 1782 dated 26-11-66.
13. Notification No. 11/4/65-B(A), dated 24-12-66 GSR No. 1978 dated 29-12-66
14. Notification No. 7/1/67-B(A), dated December, 1967
15. Notification No. 20/6/67-B(A), dated 23-3-68 GSR, No. 541 dated 23-3-68
16. Notification No. 7/1/67-B(A), dated 30-4-68 GSR No. 910 dated 30-4-68
17. Notification No. 20/6/67-B(A), dated 17-7-69 GSR Nos. 1761 and 1821.
18. Notification No. 7/12/68-B(A), dated 19-7-69 GSR No. 1682
19. Notification No. 17/9/68-B(A), dated 6-1-70 GSR No. 173 Dated 31-1-70
20. Notification No. 17/7/69-B(A), dated 21-1-70 GSR No. 204 dated 7-2-40
21. Notification No. 17/8/69-B(A). dated 2-4-70 GSR No. 723 dated 2-5-70
22. Notification No. 7/2/68-B(A), dated 24-4-70 GSR No. 1161 dated 15-8-70
23. Notification No. 1/4/70-B(A), dated 25-8-70
24. Notification No. 11/9/69-B(A), dated 21-2-72 GSR No. 367 dated 2-3-72
25. Notification No. 1/9/78-B(A), dated 8-7-72
26. Notification No. 1/7/71-B(A), dated 13-2-73 GSR No. 228 dated 3-3-73.

27. Notification No. 1/9/72–B(A), dated 10-4-73 GSR No. 476 dated
28. Notification No. 1/15/73–B(A), dated 16-2-74 GSR No. 256 dated 9-3-74
29. Notification No. 1/12/73–B(A), dated 4-4-75
30. Notification No. 1/12/73–B(A), dated 24-6-75 GSR No. 894 dated 19-7-75
31. Notification No. 17/9/69–B(A), dated 11-6-75 GSR No. 801 dated 28-6-75
32. Notification No. 1/15/75–B(A), dated 15-4-76 GSR No. 677 dated 15-5-76
33. Notification No. 1/12/73–B(A), dated 4-11-76 GSR No. 1671 dated 27-11-76
34. Notification No. 12019/9/78–B(A), dated 26-12-78 GSR, No. 95 dated 20-1-79
35. Notification No. 12018/4/77–B(A), dated 4-9-80 GSR No. 1118 dated 25-10-80
36. Notification No. 12019/9/78-B(A), dated 26-12-80 GSR No. 44 dated 10-1-81
37. Notification No. No. 12019/1/80–B(A), dated 20-10-81 GSR No. 1002 dated 7-11-81
38. Notification No. 12018/4/77–B(A), dated 15-1-82 , GSR No. 137 dated 6-2-82
39. Notification No. 45011/83/82–B(A), dated 23-10-84 GSR No. 740(EJ)
40. Notification No. 12019/6/83–B(A), dated 23-6-85
41. Notification No. 45011/83/82–B(A), Vol. IV(II) dt. 8-5-87
42. Notification No. 1/19/86–SII/AIR)B(A), dated 25-10-87
43. Notification No. 8/45/87–SII/AIR/B(A), dated 4-4-88
44. Notification No. 7/6/87-AR/B(A), dated 12-4-88
45. Notification No. 14/18/86-S-II/B(A), dated 25-5-88
46. Notification No. 12019/2/87–B(A), dated 26-5-88
47. Notification No. 7/5/87–AR–B(A), dated 13-6-88

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 जून, 1990

सा.का.नि. 408:– राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती (तीसरा संशोधन) नियम, 1990 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खान सुरक्षा महानिदेशालय (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1980 की अनुसूची में :—

(i) खान सुरक्षा महानिदेशक, खान सुरक्षा उप महानिदेशक, खान सुरक्षा निदेशक, खान सुरक्षा उप-निदेशक, और खान सुरक्षा सहायक निदेशक के पदों से संबंधित क्रम सं. 1, 2, 3, 4 और 5 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	6(क)
*1. खान सुरक्षा महानिदेशक	1* (1990) *कर्यभार के आधर पर परिवर्तन किया जा जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	7300-100-7600 रु.	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशो या आदेशों या अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । टिप्पण – आमु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय अरुणा-	हां